/226152/2024

उत्तराखण्ड शासन
कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
सं. 226152/56/का.कि.वि./2010
देहरादून : दिनांक 23/07/2024

कार्यालय आदेश

सचिवालय प्रशासन विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0 19/XXXI(1) एफ–20 (3)/2009 दिनांक 25 अगस्त, 2009 द्वारा कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग का गठन किया गया है तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0 56/का.कि.वि./2010 दिनांक 25.11. 2010 द्वारा विकासपरक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के नियंत्रणाधीन सचिवालय स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रकोष्ठ का गठन किया गया था।

कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25.11.2010 द्वारा प्रकोष्ठ में मुख्य समन्वयक एवं समन्वयक के 02 पदेन पदों के साथ ही 03 पद दिनांक 28.02.2011 तक सृजित किये गये थे, तदोपरांत प्रकोष्ठ की निरंतरता दिनांक 28.02.2011 के उपरांत जारी नहीं हो पायी। वर्तमान में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा मा0 मुख्यमंत्रीजी की प्राथमिकता के 03 कार्यक्रम (1) सरकार जनता के द्वार (2) हमारा संकल्प अनुशासित प्रदेश एवं (3) हमारा संकल्प भयमुक्त समाज में कार्यवाही एवं जन सामान्य के उपयोगार्थ "मेरी योजना" पुस्तिका के प्रकाशन तथा अन्य महत्वपूर्ण सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है।

अतः कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0 56/का.कि.वि./2010 दिनांक 25.11.2010 द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के अधीन सृजित कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रकोष्ठ को पुर्नजीवित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. प्रकोष्ठ में पूर्व की भांति निम्न विवरणानुसार अस्थाई पदों का उनके सम्मुख अंकित वेतनमानों में पदों के आदेश निर्गत होने की तिथि अथवा पदों के भरे जाने की तिथि, जो भी पहले हो, बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व समाप्त न कर दिये जायं, से दिनांक 28 फरवरी, 2025 तक निम्न विवरणानुसार पुर्नजीवित किये जाते हैं :–

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	वेतन ग्रेड	पदों की संख्या
1.	मुख्य समन्वयक	–	–	सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग पदेन मुख्य समन्वयक रहेंगे।
2.	समन्वयक	–	–	अपर सचिव/समकक्ष कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग पदेन समन्वयक रहेंगे।
3.	शोध अधिकारी	15600–39100 (सेवास्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति/संविदा)	5400	01

4.	कनिष्ठ सहायक /कम्प्यूटर ऑपरेटर	सेवा प्रदाय संस्था के माध्यम से नियत मानदेय रू 18000.00 /–(सर्विस चार्ज + जी0एस0टी0 अतिरिक्त)	–	01
5.	चपरासी / पत्रवाहक	नियत मानदेय रू 15000.00 /–(सेवा चार्ज +जी0एस0टी0 अतिरिक्त	–	01
	योगः–			03

प्रश्नगत प्रकोष्ठ के संदर्भ में कार्यालय ज्ञाप सं056 /का.कि.वि. /2010 दिनांक 25.11.2010 की अन्य सेवा शर्ते यथावत रहेंगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के अनुदान सं0–7 ले0शी0 2052. – सचिवालय सामान्य सेवायें – 091 – संलग्न कार्यालय–00 आयोजनागत –13–कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रकोष्ठ के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग की अ0शा0संख्या– I/224536/2024 दिनांक 11.07.2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

Signed by Radha Raturi
Date: 19-07-2024 18:18:24

(राधा रतूड़ी)
मुख्य सचिव

पृष्ठांकन सं0 226152/56 /का.कि.वि. /2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1.महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेरॉय बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2.समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड।
3.मुख्य निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
4.निजी सचिव / स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5.वित्त अधिकारी, इरला चैक, उत्तराखण्ड शासन।
6.वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7.समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8.वित्त अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
9.स्टेशनरी / टेलीफोन अनुभाग।
10.विभागीय आदेश पुस्तिका।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

/226152/2024

Signed by Deepak Kumar
Date: 19-07-2024 18:35:31

(दीपक कुमार)
सचिव।